न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 02/2022 (उदयपुर आर्डर)

आनन्द पिता रामा जी हिरावत, निवासी बडला फला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

केसा पिता नवला जी भील, निवासी बडला फला, पई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दि॰
15.11.2021 प्रकरण सं. 106/2020

–––/–––

उपस्थित :– 1. श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट

–––::–––

निर्णय दिनांक 07–05–2025

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पई, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 1613, 2699, 2707 कुल किता 3 रकबा 0.3800 हैक्टर भूमि स्थित है, जो प्रार्थी के एक मात्र खातेदारी अधिपत्य की होकर विपक्षी का उससे कोई संबंध नहीं है, किन्तु विपक्षी अपने ताकत के बल पर प्रार्थी को धमकी देते हैं कि उक्त भूमि मुझे विक्रय कर दो अन्यथा मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 1699 रकबा 0.0800 हैक्टर गलत दर्ज है, सही नंबर 2699 रकबा 0.0800 हैक्टर है। प्रार्थी ने विपक्षी का नाम गलत अं[illegible] है, विपक्षी का नाम अणदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

नहीं होकर आनन्द पिता रामा हिरावत उक्त है। प्रार्थी को रूपयों की आवश्यकता होने से आराजी नंबर 2699 रकबा 0.0800 में से 0.0500 हैक्टर भूमि विपक्षी को दिनांक 18–03–2017 को विक्रय कर दिया तथा एक बिकावनामा विपक्षी के पक्ष में लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, जिस पर विपक्षी का मकान, बाड़ा व टयूबवेल लगा हुआ है, जिसका जिक्र उक्त बिकावनामे में है। उक्त क्रय शुदा भूमि पर विपक्षी का कब्जा चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–11–2021 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी को मूलवाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा यह अपील दिनांक 12–01–2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई। रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट से आराजी नंबर 2699 रकबा 0.0800 हैक्टर में से 0.0500 हैक्टर का विक्रय दिनांक 18–03–2017 को अपीलान्ट के पक्ष में कर दिया है, जिस पर अपीलान्ट काबिज है। इसके अपीलान्ट रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी ने अपीलान्ट का नाम भी अणदा अंकित किया है, जबकि अपीलान्ट का नाम आनन्द पिता रामा जी हिरावत है। रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी समस्त भूमि का विक्रय अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया है, अब इसका एक ईंच भूमि पर भी कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में आधिपत्य के अभाव में अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 अनुसार विवादित आराजी नंबर 1613, 2699, 2707 कुल किता 3 रकबा 0.3800 हैक्टर रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। अपीलान्ट आराजी नंबर 2699 रकबा 0.0800 हैक्टर में से 0.0500 हैक्टर दिनांक 18–07–2017 को क्रय करना बताता है, किन्तु उक्त विक्रय पत्र न होकर एक सादे कागज पर आपसी फैसला है, जिसे विक्रय पत्र नहीं माना जा सकता तथा ऐसे आपसी फैसलों के आधार पर हक अधिकारों का हस्तान्तरण नहीं माना जा सकता। उक्त आपसी फैसलों को आधार बनाकर स्वयं अपीलान्ट विवादित भूमि पर अपना कब्जा बताता इससे स्वतः स्पष्ट है कि अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में होना मानते हुए उनका अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्ट/विपक्षी को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–11–2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 07–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested